

आवश्यक निर्देश

1. प्रार्थना पत्र के साथ “नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, यू0पी0 आगरा” के नाम में रुपये 20700/- (बीस हजार सात सौ रुपये का एकाउंटपेयी चैक – जी.एस.टी. सहित) का चैक संलग्न करें।
2. प्रार्थना पत्र के साथ पैनकार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति अवश्य रूप से संलग्न करें।
3. प्रोप0 फर्म की स्थिति में टिन नंबर, आई.ई. कोड (यदि निर्यातक/आयातकर्ता है) की प्रति, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड की प्रति एवं कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसो0 की प्रति संलग्न करें।
4. प्रोप0 फर्म/साझीदार फर्म में अधिकृत प्रतिनिधि प्रोप0/साझीदार के अतिरिक्त है तो प्रोप0/साझीदार से हस्ताक्षरित पत्र संलग्न होना चाहिये जिसमें अधिकृत प्रतिनिधि से संबंध एवं ‘वह प्रोफेशनल नहीं है’ इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।
5. कंपनी के केस में जिस डायरेक्टर, प्रबंधक, सीईओ, प्रेसिडेंट को अधिकृत प्रतिनिधि बनाया जा रहा है उसके संदर्भ/पक्ष में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक का रिजॉल्यूशन होना चाहिये।
6. दो फोटोग्राफ जिसे अधिकृत प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, के ही होने चाहिये।
7. अधिकृत प्रतिनिधि अलग होने पर आवेदन प्रपत्र पर दोनों की फोटो लगेगी।
8. सभी दस्तावेज एवं फोटोग्राफ का स्वप्रमाणित (self attested) होना आवश्यक है।
9. यदि कोई संस्था नेशनल चैम्बर की सदस्यता हेतु आवेदन करती है तो संस्था के लिए सदस्यता शुल्क रुपये 23,600/- (तेईस हजार छः सौ रुपये) होगा।

चैम्बर में अधिकृत प्रतिनिधि बनाने के सम्बन्ध में नियम

1. एकल स्वामित्व अथवा भागीदार फर्म के प्रतिनिधि से आशय स्वामी अथवा साझीदार स्वयं बशर्ते वह प्रतिनिधि व्यक्तिगत व्यवसाय (प्रोफेशनल) के रूप में कार्य न कर रहा होय पुरुष स्वामित्व के संबंध में वह स्वयं अथवा उसकी पत्नी या उसका कोई रक्त संबंधी और नारी स्वामित्व अथवा साझीदार के संबंध में वह (नारी) स्वयं या उसका पति अथवा उसका या उसके पति का कोई रक्त संबंधी अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पात्र होगा परन्तु वह प्रोफेशनल नहीं होना चाहिये।
2. कंपनी, समिति या निगम के प्रतिनिधि का आशय कंपनी या निगम के निदेशक, उपाध्यक्ष, सी.ई.ओ., प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, सचिव अथवा उस वरिष्ठ अधिकारी से है जिसे कंपनी या निगम ने प्रतिनिधित्व के लिये औपचारिक प्रस्ताव द्वारा चैम्बर के सदस्य के रूप में अधिकृत किया है।
3. सम्बद्ध सदस्य के प्रतिनिधि से आशय सम्बद्ध संस्था द्वारा चैम्बर के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिये नामित सदस्य से है। ऐसे नामित सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को स्वतः समाप्त हो जायेगा।

APPLICATION FORM FOR MEMBERSHIP

Kindly attach
passport size
photograph of
authorized
representative

To,
The President,
NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.,
National Chamber Bhawan,
New Market, Jeoni Mandi,
AGRA - 282 004

Dear Sir,

I/We want to become a member of NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.,
Agra and am / are giving the necessary details:

1. NAME OF THE FIRM / COMPANY / ASSOCIATION / SOCIETY :

M/s.....

Address:

..... City Pin Code

Phone No. (O) (R) E-Mail.....

Year of Estd..... Main Line of Business

PAN No..... GST NO. Aadhar No.

Excise/Service Tax No. (If applicable)

Importer/Exporter Code No.....(if applicable)

Turn Over : 1-5 Lakh ☐ 5-10 Lakh ☐ 10-25 Lakh ☐ 25 Lakh & Above ☐

2(i). FOR PROPRIETORY FIRM

Name of Proprietor

Name of Authorized Representative

Phone No. (O)..... (Mobile)..... Whatsapp No.

If Authorised Representative is other than Proprietor then relation with the Proprietor(Attach letter by proprietor, mentioning relation with A.R. and certifying that he himself/she herself/A.R. is not a professional.)

2 (ii). FOR PARTNERSHIP FIRM : *Name of Partners :*

1..... 2.....
3..... 4.....
5..... 6.....

Name of Authorized Representative

Phone No. (O)..... (Mobile)..... Whatsapp No.

If Authorised Representative is other than Partner then relation with the Partner(Attach letter by Partner, mentioning relation with A.R. and certifying that he himself/she herself/A.R. is not a professional.)

2(iii). FOR LIMITED COMPANY/REGD. SOCIETY: NAME OF THE DIRECTORS:

1.....2.....
3.....4.....
5.....6.....
7.....8.....

Name of Authorized Representative

Phone No. (O)..... (Mobile)..... Whatsapp No.

(a) Attach copy of Resolution authorizing to represent the company.

(b) Photocopy of Certificate of Incorporation & Memorandum & Article of Association.

2(iv) FOR ASSOCIATIONS: Name of Office Bearers of Association

(a) PRESIDENT: (b) SECRETARY :

(c) TREASURER :

Name of Authorized Representative

Phone No. (O)..... (Mobile)..... Whatsapp No.

Attach: Valid Registration Certificate under Societies Act.

3. NATURE OF BUSINESS:

(a) Manufacturer ☐ (b) Whole seller ☐ (c) Retailer ☐ (d) Other ☐

GROUP OF TRADE, INDUSTRY OR BUSINESS IN WHICH YOU WOULD LIKE TO BE PLACED:

GROUPS AS PER CLASSIFICATION OF CONSTITUTION OF CHAMBER. *Please Tick the group of your choice.*

GROUP NO.	CLASSIFICATION	
1.	FOUNDRY CASTINGS – FERROUS/NON-FERROUS, ROLLING MILLS ETC.	☐
2.	DIESEL ENGINES, GENERATORS AND PUMPS MFRS./RELATED SPARES	☐
3.	COLD STORAGE AND FOOD PROCESSING	☐
4.	FOOTWEAR & COMPONENTS MANUFACTURERS	☐
5.	OTHER MANUFACTURERS INCLUDING SCIENTIFIC & SURGICAL APPLIANCES	☐
6.	TRADERS	☐
7.	HOTELS, RESTAURANTS, TOURISM, TOUR OPERATORS AND HANDICRAFT (MFG. & EMPORIUM)	☐
8.	IT INDUSTRY, ELECTRONICS AND ELECTRICALS	☐
9.	CEMENT, FERTILIZERS, CHEMICALS AND PESTICIDES, PLASTIC & RUBBER	☐
10.	PRINTERS/PUBLISHERS & TRADERS OF STATIONERY ITEMS PACKAGING	☐
11.	REAL ESTATE DEVELOPERS, BUILDERS	☐
12.	SERVICE PROVIDERS, PROFESSIONALS & OTHERS	☐
13.	JEWELLERS AND IMITATION JEWELLERY, (MANUFACTURERS & TRADERS)	☐
14.	TEXTILES, CARPET, CURRIES, AND CLOTH MERCHANTS	☐

4. Do you use gas in production & goods, if so, type of gas used

5. NAME OF THE PROPOSERS FIRM / COMPANY:

MEMBERSHIP NO.:

(Must be in good standing)

M/s.

NAME OF THE PROPOSER :(Signature with rubber stamp of firm)

6. NAME OF THE SECONDOR FIRM / COMPANY:

MEMBERSHIP NO.:

(Must be in good standing)

M/s.

NAME OF THE SECONDER:.(Signature with rubber stamp of firm)

I/We are enclosing herewith cheque No.....dated..... of bank

... .. towards Admission fee Rs..... plus Annual Subscription of Rs.

Total Rs.(In words) Rupees.....only

I/We have gone through the rules and regulations contained in the constitution of the Chamber and accept and agree with it. I/We will abide by the decision of the Managing Committee which will be final and will not take matter to Court of Law.

Yours faithfully,

NAME OF APPLICANT:

Status / Designation of the Applicant

Dated.....

(Signature of the applicant with rubber stamp of firm)

.....

FOR OFFICE USE ONLY
RECOMMENDATION TO THE MANAGING COMMITTEE

Dated

CHAIRMAN, MEMBERSHIP COMMITTEE

DECISION OF THE MANAGING COMMITTEE

ACCEPTED

☐

REJECTED

☐

Dated

PRESIDENT, NCIC

पहचान पत्र- संबंधी सूचना

नोट :

1. यह पहचान पत्र केवल उन्ही एक महानुभाव के लिये जारी किया जायेगा जिनका नाम आपकी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चैम्बर के रिकार्ड में है।
2. कृपया पूरी सूचना दे।
3. कृपया हस्ताक्षर बॉक्स के अन्दर ही करें।

फोटो

फर्म का नाम व पता (हिंदी व अंग्रेजी में)

सदस्य संख्या

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम

मोबाइल नं०

आधार कार्ड नं०

पैन कार्ड नं०

अधिकृत प्रतिनिधि की जन्मतिथि

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

सेवा में,

दिनांक : 2025

श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी,
नेशनल चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, यू.पी.,
आगरा

विषय : चैम्बर में अधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

हमारी फर्म मैसर्स

..... से नेशनल चैम्बर में अधिकृत प्रतिनिधि मेरे/मेरी/मेरा
पति/पत्नी/पिता/पुत्र होंगे/होंगी। जो प्रोफेशनल
नहीं हैं।

सादर,

भवदीय,

वास्ते मैसर्स

(प्रोपराइटर/पार्टनर)

(Signature of the applicant with rubber stamp of firm)